उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

12/2021/आई/102410/2021-फाईल नं0-10-22099/1401/2020-22

लखनऊ: दिनॉक: 30 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनाँक 01-07-2018 से महँगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नही होना है, को दिनांक 01-07-2018 से निम्नलिखित दरों से महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	तिथि जब से देय है	महंगाई राहत की मासिक दर
1	01-07-2018	148 प्रतिशत
2	01-01-2019	154 प्रतिशत
3	01-07-2019	164 प्रतिशत
4	01-07-2021	189 प्रतिशत

दिनांक 01-01-2020 से दिनांक 30-06-2021 तक मंहगाई राहत की दर 164 प्रतिशत बनी रहेगी।

2- यह भी स्पष्ट किया जाना है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं, पर भी लागू होंगे।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवाकों पर लागू नही होंगे। उनके सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

5- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

एस० राधा चौहान

अपर मुख्य सचिव,

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्निलखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।
8- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
9- प्रमुख सचिव, वित्त/समस्त राज्य सरकार।
10- महालेखाकार कार्यालय, समस्त राज्य सरकार।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।